

पत्रांक-श्रम क० सं०-04/2016-388

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए), 01 आंशिक निःशक्तता के मामले में ₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 02 श्रमिक के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 327500/- (तीन लाख सताइस हजार पाँच सौ रूपए रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	श्री कामेश्वर पंडित, श्री बुधन पंडित, सामान्य	स्वयं	16/15.1.18	वार्ड नं०-13, पो०+था०-बड़हिया, लखीसराय	05660110 052716	यूको बैंक बड़हिया, UCBA0000566	₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए)	आंशिक निःशक्तता, आटा चक्की मिल में कामगार मजदूर
2	स्व० पुनम देवी, सामान्य	श्री बजरंगी कुमार (पति)	386/29.12.17	ग्रा०+पो०+था०+प्र०-बड़हिया, लखीसराय	35796256 912	SBI, KIOSK Banking, Barahiya, SBIN0002916	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
3	स्व० मुन्नी देवी, स्व० विष्णु देव मिस्त्री, सामान्य	श्रीमती पिकी कुमारी (पुत्री)	14/15.1.18	ग्रा०-भलुई, पो०-मननपुर, था०+प्र०-चानन, लखीसराय	16490001 00063655	पंजाब नेशनल बैंक, PUNB0164900	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, बड़ई गिरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० संजीव कुमार मधुकर, श्री ओम प्रकाश साव, पि० वर्ग	श्रीमती बेबी देवी (पत्नी)	15/15.1.18	ग्रा०-पचना रोड संसार पोखर वार्ड नं० 17, था०+प्र०+जि०-लखीसराय	31270110 038207	Bihar gramian bank, Lakhisari, UCBAORRBB KG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण के तहत हेल्पर
5	स्व० तालकेश्वर महतो, श्री कृष्णनन्दन महतो, सामान्य	श्रीमती रिटी देवी (पत्नी)	41/1.2.18	ग्रा०-सलौनाचक, पो०-रेहुआ, था०+प्र०+जि०-लखीसराय	36147541 833	SBI, KIOSK Banking, SBIN0003599	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूर
6	स्व० राधा देवी, सामान्य	श्री सुबोध साव (पति)	63/22.2.18	ग्रा०-गढी विशनपुर, पो०-किउल, प्र०+था०+जि०-लखीसराय	31230110 033938	BGB Garhi, Bishanpur, UCBAORRBB KG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर

कुल :- ₹ 327500/-

(तीन लाख सताइस हजार पाँच सौ रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-04/2016 के पृष्ठ-31/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

२

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-04/2016

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

ह०/-

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

(डा० गणेश कुमार झा)

(गोपाल मीणा)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

मुख्य वित्त पदाधिकारी

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-04/2016-७४४

पटना, दिनांक :- २१-४-१९

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 327500/- (तीन लाख सताइस हजार पाँच सौ रूपए रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, लखीसराय के उनके पत्रांक 262 दिनांक 19.7.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, लखीसराय को उनके पत्रांक 386 दिनांक 29.12.17, 41 दिनांक 1.2.18, 14, 15, 16 दिनांक 15.1.18, 63 दिनांक 22.2.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

२-२०/०४/१८

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

२०/४/१८

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

२०/४/१८

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।